Note for Pad

UPLIFTMENT OF SMALL FARMERS AND LABOURERS

Starred Assembly Question No. *16 asked by Sh. Ram Kumar Gautam, MLA (Narnaund)

The State Government has taken various initiatives for upliftment/welfare of farmers and labourers across several focused areas. Monetary support is provided to the farmers and labourers through various schemes of Agriculture & Farmers Welfare Department, Horticulture Department and Haryana State Agricultural Marketing Board. The details of the major schemes are as under:-

1. **Crop Residue Management(CRM)-**
   (i) To prevent the stubble burning, an incentive of Rs.1000/- per acre is provided to the farmers for in-situ and ex-situ crop residue management.
   (ii) Mechanization- To prevent stubble burning crop residue management machines are provided to the farmers on 50% (individual) and 80% subsidy to custom hiring centres.

2. **Direct Seeded Rice (DSR)-** Haryana is the first state in the country to promote DSR (a technique of paddy cultivation where the seeds are sown in the field directly rather than transplanting the seedlings) by assisting farmers of Rs. 4000/- per acre to save about 25 % water.

3. **BhawantarBharpayeeYojna**- This scheme is a distinctive initiative of Haryana Government to achieve the vision of Sustainable Agriculture. The State Government decided to include Bajra crop under BhawantarBharpaiYojna (BBY) during Kharif 2021 with the objective of risk mitigation and income protection to Bajra grower farmers through purchase under this scheme to cover the gap between the MSP and the market rate of Bajra.

   Under the scheme the gap between MSP and Market rate of Rs.600/- per qtl. and Rs. 450/- per qtl. was provided to the farmers during Kharif 2021and 2022 respectively. A gap of Rs 300/- per qtl. between MSP and market rate is being provided to the farmers during Kharif 2023.

4. **MeraPani Meri Virasat-** A unique crop diversification and water conservation scheme was launched to diversifythe Paddy Crop (water guzzling crop) with less water consuming crops during Kharif- 2020 by the State Govt. to incentivize farmers for diversification from paddy to alternative less water consuming crops such as, cotton, maize, kharif pluses (Moong, moth, urd, guar, soyabean, arhar), kharif oil seeds (til, castor, groundnut) kharif onion, vegetable/horticulture, fodder, agro-forestry (poplar and eucalyptus) and even fallow land (Khet Khali PhirBhiKhushhali). An incentive of Rs. 7000/- per acre is provided to the farmers.
5. **Natural Farming:-** For achieving sustainable development goals a new scheme namely Natural Farming is being implemented. The main emphasis is to impart training to the farmers and officers of the department. An incentive of Rs. 25000/- on purchase of desi cow and Rs. 3000/- for purchase of four drums is provided to the farmers.

6. **Promotion of Cotton Cultivation-** Desi cotton hold a special place in cotton industry because of its inherent ability to withstand drought, salinity and remarkable resistance to sucking pests and cotton leaf curl virus. So, to increase the area under desi cotton an incentive of Rs. 3000/- per acre is provided to the farmers. Considering the necessity of water conservation and to promote micro-irrigation system (drip/sprinkler set) with water tank, subsidy is provided from Rs.2.25 to Rs. 3.25 lakh to the farmers.
7. **Pradhan Mantri FasalBeemaYojna (PMFBY):-**The State Government is implementing Pradhan Mantri FasalBimaYojna (PMFBY) since Kharif 2016 to cover the risk of crop loss due to natural calamities. Haryana is among the few states whose claim to premium ratio has recorded more than 100%.

8. **Integrated Horticulture Development (IHD) Scheme:-** This scheme has been planned for integrated development of horticultural activities in the State and is in operation throughout the State. There is a provision of subsidy @ 25% to 75% on various components.

9. **Scheme for Promotion of Advanced National and International Technologies in Horticulture Sector**:-Department is now collaborating with International Agencies in the field of Horticulture for transfer of International Technologies in the State with an objective to increase production and productivity of the Horticultural crops and there is a provision of subsidy @ 50% on vegetable seedlings.
10. **Plan Scheme for Scheduled Castes (SCSP)**:- The assistance in the form of subsidy @ 85% on different components like mushroom trays, seasonal mushroom cultivation, low-cost thatched hut, vegetable cultivation, bamboo and MS iron stacking in vegetable crops, protected structures (Poly House/ Net House/ Walk-in-Tunnels)to the beneficiaries is being provided.
11. **BhavantarBharpayeeYojna (BBY)**:-Haryana Govt. has started BhavantarBharpayeeYojna (BBY) in the State from 01.01.2018 to incentivize farmers to offset the losses during low prices in the market for perishablehorticultural commodities. The difference of rates is paid to farmers as incentive.
12. **MukhyamantriBagwaniBima Yojana (MBBY)**:- Horticulture Crop Insurance Scheme has been designed as alternative option to provide assurance to horticulture farmers against natural calamities and to provide maximum benefit and 46 crops are covered under this scheme.
13. **National Horticulture Mission:-** This scheme is being implemented in 19 districts of the State. The main components are area expansion under horticulture crops (fruits, vegetables, spices, flowers & aromatic plants), protected structures, post harvest management projects, mushroom projects, farm water ponds, bee hives, bee boxes, buckets and bee equipments etc. There is a provision of 25% to 100% subsidy on different components.
14. **National Horticulture Mission for Scheduled Caste Farmers**:- This scheme is implemented in 19 districts of the State. The main components are area expansion of horticulture crops (fruits, vegetables, spices, flowers & aromatic plants), protected structures, post harvest management projects, mushroom projects, farmwater ponds, bee hives, bee boxes, buckets and bee equipments, etc. There is

a provision of 25% to 100% subsidy on different components.

15. **Mukhya Mantri Kishan Evam Khetihar Mazdoor Jiwan Suraksha Yojna:-** Haryana State Agricultural Marketing Board is implementing this scheme from January, 2014 under which financial assistance is provided to victims (farmers, agriculture labourers and market yard labourers) of accidents occurred during agricultural operations in the fields, villages, market yards and while going or coming such places within the state of Haryana. The claimants covered under the scope of this scheme are being paid financial assistance as under:-

Sr. No.	Effect of Accident	Assistance
1.	Death	Rs. 5,00,000/-
2.	Permanent disability due to breakage of back bone or otherwise.	Rs. 2,50,000/-
3.	Amputation of two limbs/ permanent serious injury	Rs.1,87,500/-
4.	Permanent serious injury/ amputation of one limb (amputation of four fingers shall be deemed as loss of one limb)	Rs. 1,25,000/-
5.	Amputation of full finger	Rs. 75,000/-
6.	Partial Amputation of finger	Rs. 37,500/-

16. **Atal Kisan-Majdoor Canteen (AKMC):-** The Government of Haryana has established ‘Atal Kisan - Majdoor Canteen’ at 40 locations in the mandis throughout the State for providing subsidized meal (Lunch) @ Rs.10/- to the Kisans and Majdoors.

Assistance provided and to be provided to the farmers for their upliftment/welfare during the year 2023-24

Sr.No	Name of Scheme		(Rs. InCrore)	No. of Beneficiaries
1.	Crop Residue Management (CRM)			
	a. ex-situ and in-situ		138.94	156915
	b. Machinery		120.00	11007
2.	Direct Seeded Rice (DSR)		71.42	29699
3.	BhawantarBharpaiYojna- Bajra (BBY)		177.84	250470
4.	MeraPani Meri Virasat (MPMV)		32.98	24670
5.	NaturalFarming	Desi Cow	0.75	2500
		Drum	0.45	179
6.	Promotion of Cotton Cultivation		25.69	9482
7.	Integrated Horticulture Development (IHD) Scheme		74.38	7604
8.	Scheme for Promotion of Advanced National and International Technologies in Horticulture Sector		24.79	4964
9.	Plan Scheme for Scheduled Castes (SCSP)		4.70	667
10.	BhavantarBharpayeeYojna (BBY)		40.71	6868
11.	MukhyamantriBagwaniBima Yojana (MBBY)		0.70	76
12.	National Horticulture Mission		52.54	5460
13.	National Horticulture Mission for Scheduled Caste Farmers		6.45	164
Total			**772.34**	**510725**

-------x-------

नोट फार पैड

छोटे किसानों तथा मजदूरों का उत्थान

श्री राम कुमार गौतम, विधायक (नारनौंद) द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या *16

राज्य सरकार ने कई केंद्रित क्षेत्रों में किसानों और मजदूरों के उत्थान/कल्याण के लिए कई पहल की हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, बागवानी विभाग और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों और मजदूरों को मौद्रिक सहायता प्रदान की जा रही हैं। प्रमुख योजनाओं का विवरण इस प्रकार हैं:-

1. **फसल अवशेष प्रबंधन (सी.आर.एम.)**

(क) पराली जलाने से रोकने के लिए किसानों को इन-सीटू और एक्स-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 1000/- रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।

(ख) मशीनीकरण- पराली जलाने से रोकने के लिए किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें 50 प्रतिशत (व्यक्तिगत) और कस्टम हायरिंग सेंटरों को 80 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।

2. **धान की सीधी बिजाई (डी.एस.आर.)-** हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने किसानों को 4000/- रुपये प्रति एकड़ की सहायता देकर डीएसआर (धान की खेती की एक तकनीक जहां धान की पौध रोपाई के बजाय बीज को सीधे खेत में बोया जाता है) को बढ़ावा दिया है। इस तकनीक द्वारा लगभग 25 प्रतिशत पानी की बचत होती है।

3. **भावांतर भरपाई योजना-** यह योजना सतत् कृषि के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए हरियाणा सरकार की एक विशिष्ट पहल है। राज्य सरकार द्वारा बाजरा उत्पादक किसानों का जोखिम कम करने और सुरक्षित आय के उद्देश्य से खरीफ 2021 के दौरान भावांतर भरपाई योजना (बीबीवाई) के तहत बाजरे की फसल को शामिल करने का निर्णय लिया था जिसके तहत बाजरे के एमएसपी और बाजार भाव के बीच के अंतर की भरपाई सरकार द्वारा की जाती है।

   इस योजना के तहत किसानों को खरीफ 2021 और 2022 के दौरान क्रमशः एमएसपी और बाजार भाव के बीच का अंतर 600/- रुपये तथा 450/- रुपये प्रति क्विंटल प्रदान किया गया था। खरीफ 2023 के दौरान किसानों को

एमएसपी और बाजार भाव के बीच का अंतर 300/- रुपये प्रति क्विंटल प्रदान किया जा रहा है।

4. **मेरा पानी मेरी विरासत-** राज्य सरकार द्वारा खरीफ-2020 के दौरान किसानों को फसल विविधीकरण और जल संरक्षण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक अनूठी योजना शुरू की गई थी जिसके तहत फसल विविधता लाने के लिए धान की फसल (पानी की अधिक खपत वाली फसल) के बजाय कम पानी की खपत वाली फसलें जैसे कपास, मक्का, खरीफ दालें (मूंग, मोठ, उरद, ग्वार, सोयाबीन, अरहर), खरीफ तिलहन (तिल, अरंडी, मूंगफली) खरीफ प्याज, सब्जी/बागवानी, चारा, कृषि-वानिकी (पापलर और सफेदा) उगाने और यहां तक कि खेत खाली रखने के लिए (खेत खाली फिर भी खुशहाली) प्रोत्साहित राशि प्रदान की जाती है। किसानों को धान से वैकल्पिक कम पानी खपत वाली फसलें उगाने पर 7000/- रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

5. **प्राकृतिक खेतीः-** सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक खेती नामक एक नई योजना लागू की जा रही है। इस स्कीम के तहत मुख्य जोर किसानों और विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने पर है। किसानों को देसी गाय की खरीद पर 25000/- रुपये व चार ड्रम की खरीद के लिए 3000/- रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

6. **कपास की खेती को बढ़ावा देना-** देसी कपास सूखे, लवणता को झेलने की अंतर्निहित क्षमता और रस चूसने वाले कीटों और कपास का पत्ता मरोड़ वायरस के प्रति उल्लेखनीय प्रतिरोध के कारण कपास उद्योग में एक विशेष स्थान रखती है। इसलिए देसी कपास के तहत क्षेत्र को बढ़ाने के लिए किसानों को 3000/- रुपये प्रति एकड की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। जल संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, पानी की टंकी के साथ सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (ड्रिप/स्प्रिंकलर सेट) को बढ़ावा देने के लिए 2.25 लाख से 3.25 लाख रुपये तक की अनुदान किसानों को प्रदान की जाती है।

7. **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.):-** प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान को जोखिम को कवर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा खरीफ 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) लागू की जा रही है। हरियाणा ऐसे कुछ राज्यों में से है जिनका प्रीमियम दावा अनुपात 100 प्रतिशत से अधिक है।

8. **एकीकृत बागवानी विकास (आई.एच.डी.) योजनाः-** यह योजना राज्य में बागवानी गतिविधियों के एकीकृत विकास के लिए बनाई गई है और पूरे राज्य में चल रही है। विभिन्न घटकों पर 25 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है।

9. **बागवानी क्षेत्र में उन्नत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए योजनाः-** विभाग अब बागवानी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के लिए बागवानी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहा है तथा सब्जियों की पौध पर 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।

10. **अनुसूचित जाति के लिए योजना योजना (एस.सी.एस.पी):-** विभिन्न घटकों जैसे मशरूम ट्रे, मौसमी मशरूम की खेती, कम लागत वाली फूस की झोपड़ी, सब्जी की खेती, सब्जी फसलों मे बांस और एमएस लोहे की स्टैकिंग, संरक्षित संरचनाएं (पॉली हाउस/नेट हाउस/वॉक-इन-टनल) पर 85 प्रतिशत अनुदान लाभार्थियों को प्रदान की जा रही हैं।

11. **भावांतर भरपाई योजना (बी.बी.वाई.):-** हरियाणा सरकार द्वारा जल्दी खराब होने वाले बागवानी उत्पादो के लिए बाजार में कम कीमतों के दौरान होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को सहायता राशि प्रदान करने के लिए राज्य में 01.01.2018 से भावांतर भरपाई योजना (बीबीवाई) शुरू की है। दरों के अंतर का भुगतान किसानों को प्रोत्साहन के रूप में किया जाता है।

12. **मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना (एम.बी.बी.वाई.):-** बागवानी किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए तथा अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए बागवानी फसल बीमा योजना को एक विकल्प के रूप में डिजाइन किया गया है और इस योजना के तहत 46 फसलों को सम्मिलित किया गया है।

13. **राष्ट्रीय बागवानी मिशनः-** यह योजना प्रदेश के 19 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के मुख्य घटक बागवानी फसलों तहत क्षेत्र विस्तार (फल, सब्जियां, मसाले, फूल और सुगंधित पौधे), संरक्षित संरचनाएं, फसल कटाई के बाद प्रबंधन परियोजनाएं, मशरूम परियोजनाएं, खेतों में सिंचाई के लिए पानी के तालाब, मधुमक्खी के छत्ते, मधुमक्खी बक्से, बाल्टी और मधुमक्खी उपकरण आदि हैं। विभिन्न घटकों पर 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है।

14. **अनुसूचित जाति के किसानों के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशनः-** यह योजना प्रदेश के 19 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के मुख्य घटक बागवानी फसलों तहत क्षेत्र विस्तार (फल, सब्जियां, मसाले, फूल और सुगंधित पौधे), संरक्षित संरचनाएं, फसल कटाई के बाद प्रबंधन परियोजनाएं, मशरूम परियोजनाएं, खेतों में सिंचाई के लिए पानी के तालाब, मधुमक्खी के छत्ते, मधुमक्खी बक्से, बाल्टी और मधुमक्खी उपकरण आदि हैं। विभिन्न घटकों पर 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है।

15. **मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजनाः-** इस योजना को हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड जनवरी, 2014 क्रियान्वित कर रहा है जिसके तहत हरियाणा राज्य स्थित खेतों, गांवों, मंडियों में कृषि कार्यों के दौरान और ऐसे स्थानों पर जाने या आने के दौरान हुई दुर्घटनाओं के पीड़ितों (किसानों, कृषि मजदूरों और मंडी मजदूरों) को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के दायरे में आने वाले दावेदारों को निम्नानुसार वित्तीय सहायता का भुगतान किया जा रहा हैः

क्र.सं .	दुर्घटना का प्रभाव	सहायता
1.	मृत्यु	5,00,000/- रूपये
2.	रीढ़ की हड्डी टूटने या अन्य कारण से स्थायी विकलांगता।	2,50,000/- रूपये
3.	दो अंगों का विच्छेदन/ स्थायी गंभीर चोट	1,87,500/- रूपये
4.	स्थायी गंभीर चोट एक अंग का विच्छेदन/ चार अंगुलियों के विच्छेदन को एक अंग की) (हानि माना जाएगा	1,25,000/- रूपये
5.	पूरी उंगली कटने पर	75,000/- रूपये
6.	उंगली का आंशिक विच्छेदन	37,500/- रूपये

17. **अटल किसान(.सी.एम.के.ए) मजदूर कैंटीन-:** -हरियाणा सरकार ने किसानों और मजदूरों को 10 रुपये प्रति थाली की दर से अनुदान वाला भोजन दोपहर का) उपलब्ध कराने के लिए राज्य भर की मंडियों में (भोजन40 स्थानों पर '**अटल किसानमजदूर कैंटीन-**' की स्थापना की है।

वर्ष **2023-24** के दौरान किसानों के उत्थान/कल्याण के लिए दी गई तथा दी जाने वाली सहायता

क्र.सं.	स्कीम का नाम		राशि (करोड़ रूपये मे)	लाभार्थियों की संख्या
1.	फसल अवशेष प्रबंधन (सी.आर.एम.)			
	(कसीटू-सीटू और एक्स-इन (		138.94	156915
	(खमशीनीकरण (		120.00	11007
2.	धान की सीधी बिजाई (डी.एस.आर.)		71.42	29699
3.	भावांतर भरपाई योजना- बाजरा(बी.बी.वाई.)		177.84	250470
4.	मेरा पानी मेरी विरासत (एम.पी.एम.वी.)		32.98	24670
5.	प्राकृतिक खेती	देसी गाय	0.75	2500
		ड्रम	0.45	179
6.	कपास की खेती को बढ़ावा देना		25.69	9482
7.	एकीकृत बागवानी विकास(आई.एच.डी.) योजना		74.38	7604
8.	बागवानी क्षेत्र में उन्नत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने की योजना		24.79	4964
9.	अनुसूचित जातियों के लिए योजना (एस.सी.एस.पी.) (बागवानी)		4.70	667
10.	भावांतर भरपाई योजना (बी.बी.वाई.) (बागवानी)		40.71	6868
11.	मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना (एम.बी.बी.वाई.)		0.70	76
12.	राष्ट्रीय बागवानी मिशन		52.54	5460
13.	अनुसूचित जाति के किसानों के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन		6.45	164
कुल			**772.34**	**510725**